



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06072022-237123  
CG-DL-E-06072022-237123

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 480]  
No. 480]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 6, 2022/ आषाढ़ 15, 1944  
NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 6, 2022/ASHADHA 15, 1944

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जुलाई, 2022

**सा.का.नि. 518(अ)..**—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रेल के अभियोजन संवर्ग में सहायक विधि अधिकारी (अभियोजन), वरिष्ठ लोक अभियोजक (समूह क और ख राजपत्रित) पदों पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय रेल अभियोजन संवर्ग (समूह क और ख राजपत्रित पद) भर्ती नियम, 2022 है।  
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- लागू होना.**—ये नियम, इन नियमों के साथ उपाबद्ध अनुसूची के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।
- पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**—पद की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.**—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- निरर्हता.**—वह व्यक्ति, -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केंद्रीय सरकार की यह राय में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, तो वहां उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
7. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्वसैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

#### अनुसूची

पद का नाम।	पद की संख्या।	वर्गीकरण।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर।	चयन या अचयन पद।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु- सीमा।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं।	क्या सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. सहायक विधि अधिकारी (अभियोजन)।	17* (2022) *समय-समय पर परिवर्तन किया जा सकता है।	रेल सेवा समूह “क” राजपत्रित, अननुसचिवीय।	स्तर 11 (67700- 208700 रु.)।	चयन पद।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में, वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।
(9)	(10)	(11)
दो वर्ष।	100 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा।	<b>प्रोन्नति:</b> वरिष्ठ लोक अभियोजक वेतन मैट्रिक्स के स्तर 8 में, जिन्होंने स्तर 8 में छह वर्ष की नियमित सेवा की हो। <b>टिप्पण:</b> जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार

	किया जा रहा हो, वहाँ उनके वरिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से इनमें से जो भी कम हो, और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।
--	--

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति हो, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं:- (1) अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग -अध्यक्ष; (2) विधि सलाहकार, रेलवे बोर्ड -सदस्य; और (3) कार्यपालक निदेशक, प्रबंधन सेवाएं निदेशालय, रेलवे बोर्ड - सदस्य	प्रोन्नति के समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना आवश्यक है।
समूह 'क' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं:- (1) सचिव, रेलवे बोर्ड - अध्यक्ष; (2) विधि सलाहकार, रेलवे बोर्ड - सदस्य; और (3) कार्यपालक निदेशक, प्रबंधन सेवाएं निदेशालय, रेलवे बोर्ड - सदस्य	

पद का नाम।	पदों की संख्या।	वर्गीकरण।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर।	चयन या अचयन पद।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु - सीमा।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं।	क्या सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2. वरिष्ठ लोक अभियोजक।	68* (2022) *समय-समय पर परिवर्तन किया जा सकता है।	रेल सेवा समूह 'ख' राजपत्रित, अननुसचिवीय।	स्तर 8 (47600-151100 रु)।	चयन पद।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

परिबीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति, या आमेलन किया जाएगा।
(9)	(10)	(11)
दो वर्ष।	चयन के माध्यम से प्रोन्नति द्वारा 100 प्रतिशत।	रिक्तियों को चयन के माध्यम से प्रोन्नति द्वारा (जिसमें लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षा और सेवा के रिकॉर्ड का निर्धारण सम्मिलित है) लोक अभियोजक, वेतन मैट्रिक्स के स्तर 7 (44900-142400 रु.) में, जिन्होंने स्तर 7 में दो वर्ष की नियमित सेवा की हो से भरा जाएगा। <b>टिप्पण:</b> जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनके वरिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से इनमें से जो भी कम हो, और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिबीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति हो, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं:- (1) अपर महाप्रबंधक - अध्यक्ष; (2) प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी या मुख्य कार्मिक अधिकारी - सदस्य; और (3) संबंधित क्षेत्रीय रेल के महाप्रबंधक द्वारा नामित किए जाने वाले किसी विभाग (उपर्युक्त क्रम सं. 1 और 2 में दिए गए अधिकारियों द्वारा प्रतिनिधित्व वाले विभागों से भिन्न) के उच्चतर प्रशासनिक श्रेणी या वरिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी स्तर का अधिकारी - सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना आवश्यक नहीं है।
समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं:- (1) अपर महाप्रबंधक - अध्यक्ष; (2) प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी या मुख्य कार्मिक अधिकारी - सदस्य; और (3) संबंधित क्षेत्रीय रेल के महाप्रबंधक द्वारा नामित किए जाने वाले किसी विभाग (उपर्युक्त क्रम सं. 1 और 2 में दिए गए अधिकारियों द्वारा प्रतिनिधित्व वाले विभागों से भिन्न) के उच्चतर प्रशासनिक श्रेणी या वरिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी स्तर का अधिकारी - सदस्य	

[फा. सं. 2014/ई(जी)आरआर/22/2]

अन्विता सिन्हा, कार्यपालक निदेशक, स्था.(राजपत्रित संवर्ग)

**MINISTRY OF RAILWAYS****(Railway Board)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 4th July, 2022

**G.S.R. 518(E).**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Assistant Legal Officer(Prosecution) and Senior Public Prosecutor (Group A and B Gazetted) in Prosecution Cadre of Indian Railways, namely:-

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Indian Railways Prosecution Cadre (Group A and B Gazetted posts) Recruitment Rules, 2022.  
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. **Application.**—These rules shall apply to the posts specified in columns(1) of the schedule annexed to these rules.
3. **Number of posts, classification and level in pay matrix.**—The number of posts, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
4. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.
5. **Disqualification.**—No person, –  
(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or  
(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any other person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government, may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission relax any of the provisions of these rules with respect of any class or category of persons.
7. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

**SCHEDULE**

Name of post.	Number of posts.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1..Assistant Legal Officer (Prosecution).	17* (2022) *Subject to variation from time to time.	Railway Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	level 11 (Rs. 67700-208700).	Selection.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made.
(9)	(10)	(11)
Two years.	100 per cent by promotion.	<p><b>By promotion</b></p> <p>Senior Public Prosecutor in level 8 (Rs. 47600-151100) of the pay matrix with six years regular service in level 8.</p> <p><b>Note:</b> Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service and are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p>

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
<p><b>Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:-</b></p> <p>(1) Chairman or Member of Union Public Service Commission -Chairman;  (2) Legal Adviser, Railway Board -Member; and  (3) Executive Director of Management Services Directorate, Railway Board-Member</p> <p><b>Group 'A', Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:-</b></p> <p>(1) Secretary, Railway Board - Chairman;  (2) Legal Adviser, Railway Board -Member; and  (3) Executive Director of Management Services Directorate, Railway Board-Member</p>	Consultation with Union Public Service Commission necessary while making promotion.

Name of post.	Number of posts.	Classification.	level in pay Matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.Senior Public Prosecutor.	68* (2022) * Subject to variation from time to time.	Railway Service, Group 'B', Gazetted, Non-Ministerial.	level 8 (Rs. 47600-151100).	Selection.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made.
(9)	(10)	(11)
Two years.	100 per cent by Promotion through selection.	<p>Vacancies shall be filled by promotion through selection (which shall include a written test, viva-voce and assessment of record of service) from Public Prosecutors in level 7 (Rs. 44900-142400) of the pay matrix with two years regular service in level 7.</p> <p><b>Note:</b> Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service and are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p>

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
<p><b>Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:-</b></p> <p>(1) Additional General Manager – Chairman;</p> <p>(2) Principal Chief Personnel Officer or Chief Personnel Officer -Member; and</p> <p>(3) Higher Administrative Grade or Senior Administrative Grade level officer of any Department (other than the Departments represented by officers at Serial number 1 and 2 above) to be nominated by the General Manager of the concerned Zonal Railway – Member</p> <p><b>Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of:-</b></p> <p>(1) Additional General Manager – Chairman;</p> <p>(2) Principal Chief Personnel Officer or Chief Personnel Officer -Member; and</p> <p>(3) Higher Administrative Grade or Senior Administrative Grade level officer of any Department (other than the Departments represented by officers at Serial number 1 and 2 above) to be nominated by the General Manager of the concerned Zonal Railway – Member</p>	<p>Consultation with Union Public Service Commission not necessary.</p>

[F. No. 2014/E(G)RR/22/2]

ANVITA SINHA, Executive Director Estt. (Gazetted Cadre)